न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
208 / 12	19.09.2012	22.07.2019

1. चन्द्रभान पुत्र श्री औमप्रकाश जाति अहीर निवासी लाहडोद की ढ़ाणी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0। हाल आबाद मकान नं0 173, स्कीम नं0 8, अलवर तहसील व जिला अलवर राज0।

:– प्रार्थी / वादी

:: बनाम ::

1. औमप्रकाश पुत्र श्री देवकरण जाति अहीर निवासी ग्राम लाहडोद तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
2. श्रीमान उप–पंजियक अधिकारी, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
4. सुनीता पुत्र औमप्रकाश पत्नी नरेंन्द्र यादव जाति अहीर ग्राम लाहडोद की ढ़ाणी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
5. कमला पत्नी औमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम लाहडोद तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0। हाल आबाद मकान नं0 173, स्कीम नं0 8, अलवर।

:–अप्रार्थीगण / प्रति0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामफल यादव अभिभाषक अप्रार्थीगण
3. श्री राकेश कुमार अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थी ने मय अभिभाषक उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0ऐ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 दफा 151 जा0दी0 का इस आशय का पैस किया कि जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित हाल आराजी मिन प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण की हिन्दु मुश्तर्का खानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण के हक व हकूक बाई बर्थ निहित है। अप्रार्थी सं0 1 मिन प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीया सं0 4 का पिता व अप्रार्थीया सं0 5 का पति है। विवादित आराजी में अप्रार्थी सं0 1 का 1/3 भाग है। अप्रार्थी सं0 1 दीगर लोगो के बहकावे में आया हुआ है। जिस कारण अपना व अपने परिवार का भला बुरा सोचने–समझने की शक्ति खो चुका है। जिस कारण प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी में अपने 1/3 भाग समस्त को दीगर लोगो को बेचान करना चाहता है। जबकि

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी में अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 17.09.2012 को मिन प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमंकी दी कि मै विवादित आराजी खसरा नम्बर 287 में अपने 1/3 भाग समस्त को दीगर लोगो को बेचान करूंगा और तुम्हे तुम्हारी दादालाई आराजी के उपयोग–उपभोग से वंचित कर दूंगा और काश्त नही करने दूंगा। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को अपनी दादालाई आराजी के उपयोग–उपभोग से वंचित होना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयो में नही आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी हूं।

विवादित आराजी मिन प्रार्थी की दादालाई आराजी है। जिसमें मिन प्रार्थी के हक व हकूक बाई बर्थ निहित है। इसलिये सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी हूं।

प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। जिसपर 2/–रूपये न्याय शुल्क चस्पा कर पेश है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 287/0.4400 हैक्टयर वाके ग्राम लाहडोद तहसील कोटकासिम जिला–अलवर को कही दीगर जगह रहन–बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे। ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जब्रन बेदखल करे, नाकब्जा करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी सं0 2 विवादित आराजी में अप्रार्थी सं0 1 के 1/3 भाग समस्त की बाबत कोई भी दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 व 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 1 इतना स्वीकार है कि प्रार्थी ने उक्त अनुवानी वाद अदालत में पेश किया हुआ है। बाकी जिमन गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी को उक्त अनुवानी वाद में कामयाबी की कतई भी उम्मीद नही करनी चाहिये।

प्रार्थी ने झूँठे तथ्य कर झूँठा वादपत्र व झूँठा शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का कोई प्राइमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। वास्तविकता यह कि उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वो अन्य आराजीयात की बाबत पारिवारक सैटिलमेन्ट के अनुसार बटंवारा तथा रिलीज डीड आपसमें की थी। मिन अप्रार्थी सं0 1 को काफी समझती हूं व अपना व अपने परिवार का भला–बुरा सोचने समझने की शक्ति रखता हूं। दीगर लोगो के बहकावे में नही आया हुआ हूं। स्वंय वादी/प्रार्थीनि एक वाद सं0 157/12 चन्द्रभान बनाम औमप्रकाश के नाम से न्यायालय श्रीमान में पेश किया हुआ है। जो वाद सेम (सामन्य) अभिवचन दर्ज करते हुये पेश किया है। जिसमें खसरा नम्बर 287 को स्वयं वादी ने जानबूझकर छोडा था। चूंकि खसरा नम्बर 287 म मिन अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पारिवारिक समझोता के तुताबिक रामफल के हक में मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्सा जो मिन अप्रार्थी सं0 1 का था वो जरिये रिलीज डीड

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

हकत्याग) से रामफल को देना तय हुआ था। इसलिये दिनांक 23.08.2012 को मिन अप्रार्थी सं0 1 ने अपने भाई रामफल के हक में खसरा सं0 287 का हिस्सा जरिये रिलीज डीड हस्तान्तरण किया जो कानूनन सही हुआ है। प्रार्थी जो मिन अप्रार्थी सं0 1 का ही सगा पुत्र है वो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर नोकरी करता है। प्रार्थी की सहमति से ही वो प्रार्थी को जानकारी में दिनांक 23.08.2012 को रिलीज डीड मिन अप्रार्थी सं0 1 ने अपने भाई रामफल को की है।

दिनांक 17.09.2012 की समस्त कहानी प्रार्थी ने नितान्त झूंठी, मिथ्या वो बनावटी दर्ज जिमन में की है। मिन अप्रार्थी सं0 1 ने आराजी खसरा नम्बर 287 में अपना जमाबंदी मुताबिक हिस्सा की रिलीज डीड अपने भाई रामफल के पक्ष में दिनांक 23.08.2012 को प्रार्थी की सहमति से की है। रामफल उक्त आराजी में मिन अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से पर रिलीज डीड के दिन से ही काबिज काश्त है। प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण गैरवास्ता गैरकाबिज उक्त आराजी है। प्रार्थी को अपूरनीय क्षति नही होती है और ना ही प्रार्थी मिन अप्रार्थी को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थी सं0 1 है। प्रार्थना पत्र का जिमन न0 6 काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

अतः प्रार्थना गलत है अस्वीकार है। प्रार्थी, मिन अप्रार्थी का सगा पुत्र जिसको मैने बडे ही लाड–प्यार से पाला व लालन–पोषण किया और उसे सैनिक स्कूल में अन्य मंहगे संस्थानो में पढाकर उसे दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर के पद से भर्ती कराया। मिन अप्रार्थी जो भूतपूर्व सैनिक हूं। ने प्रार्थी की सहमति से ही दादालाई आराजीयात व रिलीज डीड अपने भाई रामफल के पक्ष में बेचान की है। दादालाई आराजीयात का बेचान कर उससे प्राप्त रकम से 16 बीघा आराजी ग्राम बिरावास तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 में खरीद की और उसकी 9 फूॅट उॅची चारदीवारी की और अपनी मेहनत की कमाई से स्कीम नं0 8 गाँधीनगर में एक प्लाट 230 वर्गगज का अपनी पत्नी कमला के नाम से खरीद किया हुआ है। व उक्त प्लाट के पीछे दो मंजिला कमान भी खरीदकर अपनी पत्नी कमलाके नाम कराया हुआ है। समस्त जायदाद प्रार्थी के पास ही है। इसके बावजूद भी प्रार्थी दीगर लोगो के बहकावे में आकर ये झूँठा वादपत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वांन प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित हाल आराजी मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की हिन्दु मुश्तर्का खानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के हक व हकूक बाई बर्थ निहित है। अप्रार्थी सं0 1 मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीया सं0 4 का पिता व अप्रार्थीया सं0 5 का पति है। विवादित आराजी में अप्रार्थी सं0 1 का 1/3 भाग है। अप्रार्थी सं0 1 दीगर लोगो के बहकावे में आया हुआ है। जिस कारण अपना व अपने परिवार का भला बुरा सोचने–समझने की शक्ति खो चुका है। जिस कारण प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी में अपने 1/3 भाग समस्त को दीगर लोगो को बेचान करना चाहता

अखण्ड अधिकारी
टपूकडा (अलवर)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
टपूकडा (अलवर)

Scanned by CamScanner

है। जबकि विवादित आराजी में अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है।अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 17.09.2012 को मिन प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि मै विवादित आराजी खसरा नम्बर 287 में अपने 1/3 भाग समस्त को दीगर लोगो को बेचान करूंगा और तुम्हे तुम्हारी दादालाई आराजी के उपयोग–उपभोग से वंचित कर दूंगा और काश्त नही करने दूंगा। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को अपनी दादालाई आराजी के उपयोग–उपभोग से वंचित होना पडेगा। अपूरनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयो में नही आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजी प्रार्थी ने झूँठे तथ्य कर झूँठा वादपत्र व झूँठा शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का कोई प्राइमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। वास्तविकता यह कि उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वो अन्य आराजीयात की बाबत पारिवारक सैटिलमेन्ट के अनुसार बटंवारा तथा रिलीज डीड आपसमें की थी। मिन अप्रार्थी सं0 1 को काफी मेहनती हूं व अपना व अपने परिवार का भला–बुरा सोचने समझने की शक्ति रखता हूं। दीगर लोगो के बहकावे में नही आया हुआ हूं। स्वंय वादी/प्रार्थीनि एक वाद सं0 157/12 चन्द्रभान बनाम औमप्रकाश के नाम से न्यायालय श्रीमान में पेश किया हुआ है। जो वाद सेम (सामन्य) अभिवचन दर्ज करते हुये पेश किया है। जिसमें खसरा नम्बर 287 को स्वयं वादी ने जानबूझकर छोडा था। चूंकि खंसरा नम्बर 287 में मिन अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पारिवारिक समझोता के तुताबिक रामफल के हक में मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्सा जो मिन अप्रार्थी सं0 1 का था वो जरिये रिलीज डीड (हकत्याग) से रामफल को देना तय हुआ था। इसलिये दिनांक 23.08.2012 को मिन अप्रार्थी सं0 1 ने अपने भाई रामफल के हक में खसरा सं0 287 का हिस्सा जरिये रिलीज डीड हस्तान्तरण किया जो कानूनन सही हुआ है। प्रार्थी जो मिन अप्रार्थी सं0 1 का ही सगा पुत्र है वो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर नोकरी करता है। प्रार्थी की सहमति से ही वो प्रार्थी को जानकारी में दिनांक 23.08.2012 को रिलीज डीड मिन अप्रार्थी सं0 1 ने अपने भाई रामफल को की है। दिनांक 17.09.2012 की समस्त कहानी प्रार्थी ने नितान्त झूंठी, मिथ्या वो बनावटी दर्ज जिमन में की है। मिन अप्रार्थी सं0 1 ने आराजी खसरा नम्बर 287 में अपना जमाबंदी मुताबिक हिस्सा की रिलीज डीड अपने भाई रामफल के पक्ष में दिनांक 23.08.2012 को प्रार्थी की सहमति से की है। रामफल उक्त आराजी में मिन अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से पर रिलीज डीड के दिन से ही काबिज काश्त है। प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण गैरवास्ता गैरकाबिज उक्त आराजी है। प्रार्थी को अपूरनीय क्षति नही होती है और ना ही प्रार्थी मिन अप्रार्थी को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। मूल दावा में संलग्न प्रति जमाबंदी सम्वत 2066–2068 ग्राम लाहड़ोद तहसील कोटकासिम व नामांकरण रजिस्टर ग्राम लाहड़ोद की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद भूमि औमप्रकाश को देवकरण से विरासतन प्राप्त हुई है। विरासतन पैतृक भूमि में पुत्र पुत्री का जन्म से हक हिस्सा होता है। अप्रार्थी

Scanned by CamScanner

मे असफल रहा है कि वादभूमि उसकी खुद पैदाकर्ता सम्पति
0 1 यह साबित करने में असफल रहा है कि वादभूमि उसकी खुद पैदाकर्ता सम्पति । अप्रार्थी ने विरासतन प्राप्त भूमि को पूर्व में अन्तरण किया है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पनी पत्नी के नाम जो सम्पति खरीदी गई है उक्त सम्पति क्रय करने में अप्रार्थी सं0 , प्रार्थी स्वयं क्रेता व अन्य पारिवारिक सदस्यों का क्या योगदान रहा है, अप्रार्थी ने इस बिन्दु को साबित नही किया है। उक्त सम्पति वादभूमि के पूर्व विक्रय की धनराशि से क्रय की या अन्य स्रोतो से क्रय की है इन सभी बिन्दुओं का अप्रार्थी वकील ने बहस में कथन किया है मगर इन्हे किसी दस्तावेज या अन्य तथ्यों की सहायता से साबित नही किया है। उक्त सभी बिन्दुओं का मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना है। अप्रार्थी वादभूमि को खुद पैदाकर्ता साबित करने में असफल रहा है। वादभूमि पैतृक विरासतन सम्पति है व प्रार्थी का उसका जन्म से हक हिस्सा है, प्रार्थी वादभूमि में अपना हक हिस्सा प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

प्रार्थी का वादभूमि में कितना हक हिस्सा है। अप्रार्थी कितनी भूमि विक्रय कर चुका है, अप्रार्थीगण कितनी भूमि का तबादला कर चुके है। उक्त सभी विवाधक बिन्दुओ का मूल वाद में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना है। वादभूमि के विक्रय व तबादला मे प्रार्थी की सहमति नही है। अप्रार्थी सं0 1 ने पूर्व में भी वादभूमि को अंतरित किया है व यदि अप्रार्थी सं0 1 वादभूमि का अंतरण कर देता है तो प्रार्थी को प्रार्थी को उसका हक हिस्सा नही मिल पायेगा जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

प्रार्थी वादभूमि में अपना हक हिस्सा की घोषणा चाहता है। यदि प्रार्थी को उसका हक हिस्सा प्राप्त हुए बिना अप्रार्थी द्वारा वादभूमि का अंतरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी अपने हक से वंचित हो जाएगा प्रार्थी को असुविधा होगी, इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

वादभूमि के अंतरण से वादक्लिष्टता व वाद बहुलता का जन्म होगा। दौराने वाद वादभूमि का अंतरण किया जाना न्यायोचित नही है। घोषणात्मक वाद में जहॉ वादभूमि में पक्षकारान के हक हिस्सा की घोषणा की जानी हो व सम्पति के अंतरण दुर्व्यपन का खतरा हो तो सम्पति को दौराने वाद संरक्षित रखा जाना न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि अप्रार्थी प्रार्थी के विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम लाहडोद तहसील कोटकासिम को रहन,बैय,हिबा,लीज व अन्य दीगर तरीके से मुन्तकिल ना करे ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण 4 व 5 के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी वादीगण मे प्रतिवादीगण मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, आराजी जोतने, फसल बोने, कोटने, समेटने में रूकावट पैदा ना करे। रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति कायम रखे ।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
सत्यमेव जयते

राजकुमार कस्वा, (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)